

भारत गणतंत्र सरकार और हांग कांग सरकार के बीच हवाई सेवा करार

भारत गणतंत्र सरकार और हांग कांग सरकार,

आपसी नागर विमानन संबंधों को बढ़वा देने और हांग कांग तथा भारत के बीच हवाई सेवाओं के विकास के प्रयोजन के लिए एक करार करने की इच्छा से ,

निम्नलिखित के संबंध में सहमत हुए हैं:

परिमाषा

अनुच्छेद-1

जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस करार के प्रयोजन के लिए:

हेक हैं "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का आशय, भारत गणतंत्र सरकार के मामले में नागर विमानन महानिदेशक और हांग कांग सरकार के मामले में नागर विमानन निदेशक अथवा, दोनों मामलों में, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था से है, जिसे इस समय उक्त प्राधिकारियों दारा किये जाने वाले या इसी तरह के कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है,

१ स्व १ "नामित विमानकंपनी" पद का आशय ऐसी विमानकंपनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद -4 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया है ,

१ग१ होंग कोंग के संबंध में, "भू-भाग" पद में होंग कोंग दीप, कालून तथा नये



2 -

क्षेत्र शामिल हैं, तथा भारत के संबंध में, इसका अर्थ वही होगा जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन अमिसमय के अनुच्छेद-2 में "राज्यक्षेत्र" का निश्चित किया गया है,

§घ§ "हवाई सेवा", "अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा", "विमानकंपनी" और "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए रूकना" पदों का अर्थ क्रमशः वही होगा जो उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 96 में निश्चित किया गया है।

१ड•१ "इस करार " पद में इसका अनुबंध और इसमें या इस करार में किये गये कोई भी संशोधन शामिल है।

### अनुच्छेद-2 अंतरराष्ट्रीय इवाई सेवाओं पर लागू शिकागो अमिसमय के उपबंध

इस करार का कार्यान्वयन करते हुये, संविदाकारी पक्ष 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में इस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के उपबंधों तथा अनुबंधों और अभिसमय अथवा उसके अनुबंधों में किये गए किन्हीं भी संशोधनों के अनुरूप कार्य करेंगे, जो दोनों संविदाकारी पक्षों पर लागू होते हैं, जहां तक वे उपबंध अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर लागू हों।

### अनुच्छेद-3 यातायात अधिकारों की मंजूरी

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को उसकी अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित अधिकार मंजूर करता है :

१क किना उतरे उसके भू-भाग से होकर उड़ने का अधिकार,

§ख§ यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए उसके भू-भाग में रूकने का अधिकार ।



3

2• प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार के अनुबंध के उपयुक्त संड में निर्दिष्ट मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं प्रचालित करने के प्रयोजन के लिए इस करार में एतत्पश्चात् निर्दिष्ट अधिकार मंजूर करता है। ऐसी सेवाओं तथा मार्गों को एतत्पश्चात् कमशः "सम्मत सेवाएं" और "निर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों को निर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवाएं प्रचालित करते समय, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ में निर्दिष्ट अधिकारों के साध-साध, यात्रियों और कार्गो तथा डाक, अलग से या एक साध उतारने और चढ़ाने के प्रयोजन के लिए इस करार के अनुबंध के अनुसार उस मार्ग के लिए निर्दिष्ट स्थलों पर दूसरे सविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में रूकने का अधिकार होगा ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 828 में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जायेगा कि किसी भी एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किसी एक स्थल से, किराये या प्रतिफल हेतु उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किसी अन्य स्थल को जाने वाले यात्री और कार्गी तथा डाक विमान में ले जाने का अधिकार मिल गया है ।

### अनुच्छेद-4

### विमानकम्पनियों को नामित और प्राधिकृत करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, निर्दिष्ट मार्गे पर सम्मत सेवाओं का प्रचालन करने हेतु एक या अधिक विमानकम्पनियां नामित करने या ऐसे नामांकन वापस लेने अथवा उन्हें बदलने का अधिकार होगा, जिसके बारे में लिखित रूप में दूसरे संविदाकारी पक्ष को सूचित करना होगा ।

2. ऐसा नामांकन प्राप्त हो जाने के बाद, दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुष्ठेद के पैरा §3§ और §4§ के उपबंधों के अधीन रहते हुए नामित विमानकंपनी या कंपनियों को बिना विलंब के उपयुक्त प्रचालन संबंधी प्राधिकार मंजूर करेगा ।

3१क१ होंग कांग सरकार को, ऐसे किसी भी मामले में, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ १2१ में निर्दिष्ट प्रचालन प्राधिकार मंजूर नहीं करने अथवा किसी भी नामित विमानकम्पनी दारा इस करार के अनुच्छेद 3828 में निर्दिष्ट उन अधिकारों का प्रयोग किए जाने की



बाबत यथावश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा जहां उसे यह संतोभ न हो कि उस विमानकम्पनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारत गणतंत्र सरकार या इसके राष्ट्रिकों में निहित है ।

3 ई ख ई भारत गणतंत्र सरकार को, ऐसे किसी भी मामले में, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ § 2 § में निर्दिष्ट प्रचालन प्राधिकार मंजूर नहीं करने अथवा किसी भी नामित विमानकम्पनी दारा इस करार के अनुच्छेद 3 § 2 § में निर्दिष्ट उन अधिकारों के प्रयोग किए जाने की बाबत यथावश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा, जहां उसे यह संतोष न हो कि विमानकम्पनी निगमित की गई है और इसके व्यवसाय का मुख्य स्थल हांग कांग में है ।

4• एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा नामित विमानकंपनी से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वे उन्हें आश्वस्त करें कि वे उन कानूनों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के लिए अर्हता प्राप्त हैं जो ऐसे प्राधिकारियों दारा सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के प्रचालन पर लागू किए जाते हैं।

5. जब एक विमानकंपनी इस प्रकार से नामित और प्राधिकृत की जाती है तो यह सम्मत सेवाओं का प्रचालन शुरू कर सकती है बशर्ते कि विमानकंपनी इस करार के स्वीकार्य उपबंधों को पूरा करती है।

#### अनुच्छेद-5

### प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहत करना अथवा रोक देना

§1 § प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा नामित विमानकंपनी को, इस करार के अनुच्छेद 3 § 2 § में निर्दिष्ट प्रचलन प्राधिकार प्रतिसंहृत करने या अधिकारों का प्रयोग रोक देने अधवा ऐसी शर्ते लगाने का अधिकार होगा जो वह इन अधिकारों के प्रयोग पर लगाना आवश्यक समझे :

१ का कांग कांग सरकार के संबंध में, किसी भी मामले में, जहां उसे यह संतोष न हो कि उस विमानकंपनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारत गणतंत्र



### सरकार या उसके राष्ट्रिकों में निहित है ,

-: 5 :-

§2§ भारत गणतंत्र सरकार के संबंध में, किसी भी मामले में, जहां उसे यह संतोष न हो कि विमानकंपनी निगमित की गई है और इसके व्यवसाय का मुख्य स्थल हांग कांग है, या

१ स्व १ ऐसे अधिकार देने वाले संविदाकारी पक्ष के कानूनों या विनियमों के अनुपालन में उस विमानकंपनी के विफल रहने की स्थिति में, या

§2§ कानूनों और विनियमों का और आगे उल्लंधन रोकने के लिये, जब तक इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ में उल्लिखित प्रचालन प्राधिकार का तत्काल प्रतिसंहरण या निलम्बन अथवा उसमें शर्तों का आरोपण अनिवार्य न हो, ऐसे अधिकार का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही किया जाएगा ।

### अनुच्छेद-6 सम्मत सेवाओं के प्रचालन को नियंत्रित करने के सिदान्त

§1§ निर्दिष्ट मार्गो पर, सम्मत सेवाओं के प्रचालन में दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों को उचित और समान अवसर मिलेंगे ।

§2§ सम्मत सेवाओं के प्रचालन में प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियां दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों के हितों को ध्यान में रखेंगी ताकि उक्त विमानकंपनियों दारा उसी मार्ग पर या उसके किसी हिस्से में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर प्रतिकुल प्रभाव न पड़े ।

§ 3 ई संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकंपनियों दारा उपलब्ध कराई जाने वाली सम्मत



6

सेवाओं का निर्दिष्ट मार्गो पर परिवहन के लिए जनता की आवश्यकताओं के साथ घनिष्ट संबंध होगा और उनका प्रमुख उद्देश्य समुचित भार गुणक के आघार पर ऐसी विमान क्षमता की व्यवस्था करना होगा जो ऐसी विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष के मू-भाग से या उसमें स्थित किसी गंतव्य स्थल के लिये यात्रियों और कार्गो तथा डाक के वहन के लिये मौजूदा और उचित रूप से प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो । विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में स्थित स्थलों को छोड़कर, निर्दिष्ट मार्गो के स्थलों पर विमान में चढ़ाए और उतारे गए यात्रियों और कार्गी तथा डाक के वहन की व्यवस्था ऐसे सामान्य सिदान्तों के अनुसार की जाएगी कि विमान क्षमता निम्नलिखित से संबंधित हो :

हेकहे विमानकंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से और वहां तक के लिये यातायात संबंधी आवश्यकताएं

१ग१ सीधे एयरलाइन प्रचालन संबंधी आवश्यकृताएं ।

> अनुच्छेद-7 टेरिफ

§1§ "टैरिफ " शब्द का आशय निम्नलिखित में से एक या अधिक से हैं :

१क१ किसी विमानकंपनी दारा यात्रियों और उनके बैगेज के वहन के लिए अनुसूचित हवाई सेवाओं पर वसूल किया गया किराया तथा ऐसे वाहनों की अनुषंगी सेवाओं के



लिए प्रभार और शर्ते,

-:

7

१ स्व र्ध अनुसूचित हवाई सेवाओं पर कार्गो १ डाक रहित १ के वहन के लिए किसी विमानकंपनी दारा प्रभारित दर,

§ग§ ऐसी शर्तें जो किसी भी किराये या दर और इससे संबद किसी भी लाभ की सुलमता या प्रयोज्यता को नियंत्रित करती हों, और

§घ§ अनुसूचित हवाई सेवाओं पर वहन के लिए किसी एर्जेंट दारा बिक्री की गई टिकटों या उस एर्जेंट दारा संपन्न किए गए विमान वे-बिलों के संबंध में किसी विमानकंपनी दारा उस एर्जेंट को अदा की गई कमीशन की दर ।

१२१ एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी दारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से अथवा उसके भू-भाग के लिए वहन किए जाने के संबंध में लागू किया जाने वाला टैरिफ वही होगा जो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों दारा अनुमोदित किया गया हो और इसे उचित स्तरों पर निर्धारित किया जाएगा, जिस बाबत सम्मत सेवाओं के प्रचालन की लागत, प्रयोग करने वालों के हितों, समुचित लाभ तथा उसी मार्ग के संपूर्ण या एक भाग पर प्रचालन कर रही अन्य विमान कंपनियों के टैरिफों सहित सभी संगत पहलुओं पर ध्यान दिया गया हो ।

§3§ इस अनुच्छेद के पैरा §2§ में उल्लिखित टैरिफों पर, संविदाकारी पक्षों की, टैरिफ के अनुमोदन का अनुरोध करने वाली नामित विमानकंपनियों दारा सहमति हो सकेगी तथा जो ऐसे टेरिफों के प्रस्ताव करने से पूर्व अन्य ऐसी विमानकंपनियों से परामर्श कर सकती हैं जो उसी मार्ग पर सम्पूर्ण या उसके किसी भाग पर प्रचालन कर रही हों । ऐसा समझौता उचित अंतरराष्ट्रीय किराया निर्धारण तरीके का प्रयोग करते हुए किया जा सकेगा । तथापि, कोई नामित विमानकंपनी न तो किसी टैरिफ का प्रस्ताव करने और न ही संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी उसका अनुमोदन करने के लिए प्रतिबाधित होंगे, यदि उक्त विमानकंपनी ऐसे टैरिफ के लिए अन्य नामित विमानकंपनी §विमानकंपनियों के साध समझौता करने में असफल रहती है, या इसलिये कि कोई अन्य नामित विमानकंपनियों के साध समझौता करने में असफल रहती है। । इस पैराग्राफ तथा इससे पूर्ववर्ती पैराग्राफ में "उसी मार्ग पर" का संदर्भ



### प्रचालित मार्ग से है न कि निर्दिष्ट मार्ग से।

-: 8

§4§ इस अनुच्छेद के पैरा §1§ में उल्लिखित विवर्लों को उद्घादित करने के लिए यथा अपेक्षित ऐसे प्रपत्र में टैरिफ का अनुमोदन प्राप्त करने वाली नामित विमानकंपनी दारा संगत वैमानिकी प्राधिकारियों के पास, एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी दारा प्रस्तावित कोई भी टैरिफ अन्य संविदाकारी पक्ष के भू-माग से अथवा उसके भू-भाग के लिए, वहन हेतु दायर किया जाएगा । इसे प्रस्तावित प्रभावी तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व §या ऐसी कम अवधि में जिसे संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी आपसी सहमति से तय करें § दायर किया जाएगा । प्रस्तावित टैरिफ, किसी संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास उस तारीख को दायर कर दिया गया माना जाएगा, जिस तारीख को वह उन वैमानिकी प्राधिकारियों को प्राप्त होता है ।

§5§ कोई भी प्रस्तावित टैरिफ किसी भी समय किसी भी संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों दारा अनुमोदित किया जा सकता है, बशर्ते उसे इस अनुच्छेद के पैरा §4§ के अनुसार दायर किया गया हो, तथा उसे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों दारा अनुमोदित समझा जाएगा यदि भेजने की तारीख के पश्चात तीस दिनों की अवधि के भीतर §या ऐसी कम अवधि, में जिस पर संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी सहमत हों§ एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को प्राप्ता की सातर इया ऐसी कम अवधि, में जिस पर संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी को संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों दारा अनुमोदित समझा जाएगा यदि भेजने की तारीख के पश्चात तीस दिनों की अवधि के भीतर §या ऐसी कम अवधि, में जिस पर संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी सहमत हों§ एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को प्राधिकारी को प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को प्राधिकारी को प्राधिकारी को प्राधिकारी दारा को प्राधिकारी दारा की वारी की त्यां के वैमानिकी प्राधिकारी को प्राधिकारी को प्राधिकारी दारा की प्राधिकारी को प्राधिकारी दारा कों के वैमानिकी प्राधिकारी को सहमत हों है पक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी को प्राधिकारी को प्राधिकारी दासरे को वैमानिकी प्राधिकारी दासरे को प्राधिकारी को प्राधिकारी होता है ।

§6१ यदि इस अनुच्छेद के पैरा १5१ के उपबंधों के अनुसार असहमति का नोटिस दिया जाता है तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी संयुक्त रूप से टैरिफ का निर्धारण कर सकेंगे । इस प्रयोजन के लिए , एक संविदाकारी पक्ष, असहमति का नोटिस प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच परामर्श का अनुरोध कर सकता है, और जो दूसरे संविदाकारी पक्ष की लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाएगा ।

१७१ यदि इस अनुच्छेद के पैरा १५१ के अनुसार किसी टैरिफ पर एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों दारा असहमति प्रकट की जाती है और यदि इस अनुच्छेद के पैरा १६४ के अनुसार, संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी संयुक्त रूप से टैरिफ का निर्धारण करने



9

:-

में असफल रहते हैं तो विवाद का निपटान इस करार के अनुच्छेद 15 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

§88 इस अनुच्छेद के पैरा 898 की शर्त के अधीन, इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निश्चित टेरिफ, तब तक लागू रहेगा जब तक कि नया टेरिफ निश्चित नहीं किया जाता है।

§9§ दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ समझौते के सिवाय, और ऐसी अवधि तक जिसके लिए दोनों आपस में सहमत हों, इस अनुच्छेद के पैरा §8§ के उपबंधों के कारण टेरिफ की मान्यता अवधि को बढ़ाया नहीं जाएगा :-

- १क≬ जहां टैरिफ की समाम्ति की तारीख हो, उक्त तारीख के पश्चात 12 महीनों से अधिक की अवधि के लिए,
- हेल किसी टैरिफ की समान्ति तारीख नहीं हो, एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी दारा दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास दायर किये गये प्रतिस्थापित टैरिफ की तारीख के बाद 12 महीनों से अधिक की अवधि के लिए।

### अनुच्छेद-8 सीमा-शुल्क

१1 एक सीवदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों दारा अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर प्रचालित किये जा रहे विमान तथा ऐसे विमानों में रखे गए उनके नियमित उपस्कर, ईयन, रनेहकों और प्रयोज्य तकनीकी आपूर्तियों, फालतू पुर्जों व इंजिनों और विमान मंडार को हजिनमें खाद्य पदार्थ, पेय और तम्बाकू जैसी वस्तुएं भी सम्मिलित हैं, पस्तु इन तक सीमित नहीं सभी प्रकार के सीमा-शुल्कों, उत्पाद-शुल्कों और इसी प्रकार की फीस तथा प्रभारों से, जो आगमन पर उपलब्ध कराई गई सेवाओं की लागत पर आधारित न हो, दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा पारस्परिक आधार पर छूट दी जायेगी बशर्ते ऐसे नियमित उपस्कर और ऐसी अन्य मदें विमान में ही रहें।



10

:-

१२१ दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उसके दारा अयवा उसकी और से उसकी नामित विमानकंपनी दारा लाए गए अथवा उस नामिल विमानकंपनी दारा प्रचलित विमान पर लिए गए नियमित उपस्कर ईंधन, स्नेहकों, प्रयोज्य तकनीकी आपूर्तियों, फालतू पुर्जों व इंजिनों, विमान मंडार को श्रेजिनमें खाद्य पदार्ध, पेय और तम्बाकू जैसी वस्तुएं सम्मिलित हैं, पस्तु इन तक सीमित नहींश्व दूसरे संविदाकारी पक्ष दरा पारस्परिक आधार पर सभी सीमा-शुल्कों, उत्पाद-शुल्कों और इसी प्रकार की फीस तथा प्रभारों से, जो आगमन पर उपलब्ध कराई गई सेवाओं की लागत पर आधारित न हो, छूट दी जाएगी, चाहे ऐसे नियमित उपस्कर और ऐसी अन्य वस्तुएं दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग पर की गई यात्रा के किसी हिस्से पर प्रयोग में लायी जानी हों।

§3§ इस अनुच्छेद के पैरा §1§ और §2§ में उल्लिखित नियमित उपस्कर और अन्य मदों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पर्यविक्षण या नियंत्रण में रखा जाना अपेक्षित हो सकता है ।

१४१ इस अनुच्छेद के पैरा १११ में उल्लिखित नियमित उपस्कर और अन्य वस्तुएं दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में उस संविदाकारी पक्ष के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारी जा सकती हैं। इन परिस्थितियों में, ऐसे नियमित उपस्करों और ऐसी वस्तुओं पर पारस्परिक आधार पर इस अनुच्छेद के पैरा १११ में उपलब्ध छूट तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि उन्हें पुनः निर्यात नहीं कर लिया जाता अथवा उनका सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार अन्या निपटान नहीं कर दिया जाता। तथापि, उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के सीमा शुल्क प्राधिकारी पक्ष के सीमा शुल्क प्राधकार पर इस अनुच्छेद के पैरा १११ में उपलब्ध छूट तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि उन्हें पुनः निर्यात नहीं कर लिया जाता अथवा उनका सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार अन्यथा निपटान नहीं कर दिया जाता। तथापि, उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के सीमा शुल्क प्राधिकारी ऐसे नियमित उपस्कर और ऐसी वस्तुओं को ऐसे समय तक अपने पर्यवेक्षण में रखने की अपेक्षा कर सकते हैं।

§5§ इस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई छूट, उन स्थितयों में भी उपलब्ध होगी जहां एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनी ने ऐसी दूसरी विमानकंपनी अथवा कंपनियों के साथ दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में, इस अनुच्छेद के पैरा§1§ और §2§ में उल्लिखित नियमित उपस्कर और अन्य वस्तुओं को उधार या हस्तांतरण पर लेने के लिए समझौता कर लिया हो, बशर्ते कि ऐसी दूसरी विमानकंपनी अथवा कंपनियों की उस दूसरे संविदाकारी पक्ष से रेसी दूसरी विमानकंपनी अथवा कंपनियों के साथ देसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में, इस अनुच्छेद के पैरा§1ई और §28 में उल्लिखित नियमित उपस्कर और अन्य वस्तुओं को उधार या हस्तांतरण पर लेने के लिए समझौता कर लिया हो, बशर्ते कि ऐसी दूसरी विमानकंपनी अथवा कंपनियों की उस दूसरे संविदाकारी पक्ष से ऐसी ही छूट मिली हुई हो ।



§6१ एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में सीधे पारगमन वाले बैगेज और कार्गो ऐसे सीमा-शुल्कों, उत्पाद शुल्कों व इसी प्रकार के शुल्कों और प्रमारों से, जो आगमन पर उपलब्ध सेवाओं की लागत पर आधारित न हो, मुक्त रहेंगे ।

### अनुच्छेद-9 विमानने सुरक्षा

§1§ दोनों संविदाकारी पक्ष पुनः इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्रवाइयों से नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष 14 सितंबर,1963 को देक्यो में हस्ताक्षरित विमान में उड़ान के समय किए गए अपराधों और कुछ अन्य कार्रवाईयों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण निवारण हेतु अभिसमय और 23 सितंबर, 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा दिमानन सुरक्षा विमान हेतु अभिसमय और 23 सितंबर, 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध गैर-कानूनी कार्रवाई दमन हेतु अभिसमय के नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप विशेष रूप से कार्रवाई करेगा ।

§2§ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, उसके अनुरोध किए जाने पर, उसे गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों का अभिग्रहण किए जाने और ऐसे विमानों, उनके यात्रियों तथा कार्मिकों, हवाई अड्डों और हवाई दिक्वालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्यों से और नागर विमानन सुरक्षा को किसी अन्य प्रकार के खतरे से बचाव के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

§ 3 दोनों संविदाकारी पक्ष, अपने परस्पर संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन दारा स्थापित और 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में इस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित लागू विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों से, जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थल अथवा स्थाई निवास उसके भू-भाग में है, तथा उसके भू-भाग में हवाई अड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेगा कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेगा कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के प्रचालकों से अनुरूप कार्य के भू-भाग में है, तथा उसके भू-भाग में हो प्रचालकों से यह अपेक्षा करेगा कि वे इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें ।



-: 12 :-

१४१ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात से सहमत है कि ऐसे विमान प्रचालकों से, दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा अपेक्षित, उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय, वहां से प्रस्थान करते समय या जब वे वहां हैं, उस दौरान उत्पर पैराग्राफ §38 में उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके भू-भाग में विमान की सुरक्षा करने तथा यात्रियों, कर्मीदल, ले जाई जाने वाली वस्तुओं, सामान, कार्गो तथा विमान मंडार की विमान में चढ़ाने से पूर्व या उसके दौरान, जांच करने के लिये पर्याप्त प्रमावी उपाय किए गए हैं । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे का मुकाबला करने हेतु विशेष उपयुक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा किये गए अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार भी करेगा ।

§5§ जब कभी किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी अमिग्रहण की या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाई अड्डों अथवा हवाई दिक्वालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद कोई गैर-कानूनी कार्रवाईयों की घटना अथवा इस प्रकार की घटना का खतरा हो तो संविदाकारी पक्ष इस प्रकार की घटना अथवा उसके खतरे को तुरंत तथा सुरक्षित ढंग से समाप्त करने के लिए एक दूसरे को संचार सुविधाएं प्रदान करके और अन्य उपयुक्त उपाय करके एक दूसरे की सहायता करेंगे ।

### अनुच्छेद-10 प्रचालन सूचना का प्रावधान

एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी अपनी नामित विमानकंपनी§कंपनियों§ से अपेक्षा करेंगे कि वे दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, जितनी जल्दी संभव हो सके, सम्मत सेवाओं के आरंभ से पूर्व, सेवा की किस्म, प्रयोग में लाए जाने वाले विमान के प्रकार, उड़ान अनुसूचियों, टैरिफ अनुसूचियों और सम्मत सेवाओं के प्रचालन से संबंधित कोई भी अन्य सूचना देंगी और ऐसी सूचना भी देंगी जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को इस बाबत संतुष्ट करने के लिए अपेक्षित हों कि वर्तमान करार की सभी अपेक्षाओं का विधिवत पालन किया जा रहा है । इस अनुच्छेद की अपेक्षाएं, सम्मत सेवाओं से संबंधित किन्हीं भी परिवर्तनों पर इसी तरह लागू होंगी ।



13

:-

### ं अनुच्छेद-11 आंकेड्रों की व्यवस्था

किसी भी संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, अपनी नामित विमानकंपनी § कंपनियों§ से अपेक्षा करेंगे कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-माग को और वहां से, प्रत्येक मास के दौरान सम्मत सेवाओं पर वहन किए गए यातायात से संबंधित आंकड़े, जिनमें उन यात्रियों के विमान में सवार होने और उतरने के स्थलों को दिखाया गया हो, तथा कोई अन्य संगत सूचना जो दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों दारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगी । ऐसे आंकड़े प्रत्येक मास की समाप्ति के उपरान्त यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत किये जाएंगे ।

### अनुच्छेद-12 राजस्व का परिवर्तन और प्रेषण

§1 भारत दारा समान रूप से लागू किये जाने वाले विदेशी मुंदा विनियमों के तहत ही हांग कांग की नामित विमानकंपनियों को स्थानीय आधार पर व्यय किए गए धन के अलावा शेष राजस्व को परिवर्तित करने तथा भारत से हांग कांग भेजने का अधिकार होगा।

§2§ भारत की नामित विमानकंपनियों को, वहां स्थानीय आधार पर किए गए व्यय के उपरान्त बचे स्थानीय राजस्व को परिवर्तित करने और हांग कांग से भारत भेजने का अधिकार होगा ।

§3§ ऐसे राजस्वों का परिवर्तन और प्रेषण मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में होगा और चालू कारोबार पर लागू विनिमय दर पर, जो परिवर्तन तथा भेजने के समय ऐसे राजस्वों पर प्रभावी हो, किए जाने की अनुमति होगी तथा जो प्रभार सामान्यतः बैंकों दारा वसूल किए जाते हैं, उन्हें छोड़कर ऐसे परिवर्तन और प्रेषण के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा ।



### अनुच्छेद-13 विमानकंपनियों का प्रतिनिधित्व और बिक्री

### प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों को :

-:

14

:-

- १क१ दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में, उसके यहां प्रवेश, आवास और रोजगार सम्बन्धी कानूनों और विनियमों के अनुसार, अपने प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी, प्रचालनात्मक और अन्य विशेषज्ञ स्वप्त को, जिसकी आवश्यकता इवाई परिवहन की व्यवस्था के लिये हो, उस भू-भाग में लाने और वहीं रखने का अधिकार होगा ।
- १ ब्रे स्ंविदाकारी पक्ष के कानूनों और विनियमों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में सीधे या एजेंटों के माध्यम से हवाई परिवहन की बिकी करने का अधिकार होगा । प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के कानूनों और विनियमों के अंतर्गत यदि अनुमत्य हो, उसकी स्थानीय मुद्रा में, या किसी अन्य खुली परिवर्तनीय मुद्रा में, ऐसे हवाई परिवहन की बिकी का अधिकार होगा और किसी भी व्यक्ति को इसे क्य करने की छट होगी ।

### अनुच्छेद-14 प्रयोक्ता प्रमार

§1§ " प्रयोक्ता प्रभार " पद का अर्थ है ऐसा शुल्क जो सक्षम प्राधिकारियों दारा विमानकम्पनियों से लिया जाता है या जो विमान, उसके कर्मीदल, यात्रियों और कार्गो से संबंधित सेवाओं और सुविधाओं सहित हवाई अड्डा संपत्ति या सुविधाओं या हवाई दिक्वालन साधनों की व्यवस्था हेत् लिये जाने की अनुमति दी जाती है ।

§2§ कोई भी संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमानकंपनियों से प्रयोक्ता प्रभार उससे अधिक वसूल नहीं करेगा अथवा वसूल किए जाने की अनुमति देगा जो कि ऐसी अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं का प्रचालन कर रही उसकी स्वयं की विमानकम्पनियों से वसूल किया जाता है । -: 15 :-

सिंग्से संपर्वेय जयते

§3§ प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, प्रभार वसूल करने वाले सक्षम प्राधिकारियों और विमानकंपनियों के बीच, जहां भी व्यवहार्य हो, विमानकंपनियों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से ऐसे प्रयोक्ता प्रभारों के बारे में परामर्श को प्रोत्साहित करेगा जो कि प्रभार वसूल करने वाले प्राधिकारियों दारा प्रदत्त सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग करते हैं । ऐसे उपयोगकर्ताओं को इन प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तन संबंधी किसी भी प्रस्ताव के लिए समुचित नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे परिवर्तन करने से पहले वे अपने विचार व्यक्त कर सकें, परन्तु प्रयोक्ता प्रभारों के संबंध में किसी भी संविदाकारी पक्ष के प्रभार वसूल करने वाले सक्षम प्राधिकारियों का निर्णय अंतिम होगा ।

§4§ इसके अलावा, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, प्रभार वसूल करने वाले अपने सक्षम प्राधिकारियों और ऐसे उपयोगकर्ताओं को प्रयोक्ता प्रभारों से संबंधित उपयुक्त सूचना का आदान-प्रदान करने के लिये और आगे प्रोत्साहित करेगा ।

### अनुच्छेद-15 परामर्श

१1 दोनों में से कोई संविदाकारी पक्ष इस करार के निर्वचन, कार्यान्वयन, लागू करने या इसमें संशोधन के बारे में किसी भी समय परामर्श के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श जो कि संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच या स्वयं संविदाकारी पक्षों के बीच हो सकता है, उस तारीख से, जिसको ऐसा लिखित अनुरोध दूसरे संविदाकारी पक्ष की प्राप्त हो, 60 दिन के भीतर शुरू होगा, बशर्ते कि संविदाकारी पक्षों दारा अन्यथा सहमति न की गई हो।

§2§ यदि संविदाकारी पक्षों के बीच इस करार के निर्वचन या लागू करने के बारे में कोई विवाद पैदा होता है तो संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ §1§ के उपबंधों के अनुसार इसे बातचीत दारा सुलझाने का प्रयास करेंगें।



16 :-

-:

अनुच्छेद-16 संशोधन

संविदाकारी पक्षों की सहमति से इस करार में कोई भी संशोधन उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को इसकी संविदाकारी पक्षों दारा लिखित रूप से पुष्टि की जाएगी।

> अनुच्छेद–17 समाप्त करना

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस करार को समाप्त करने हेतु अपने निर्णय का दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है। यह करार, दूसरे संविदाकारी पक्ष दारा ऐसा नोटिस प्राप्त करने की तारीख की प्रथम वर्षगांठ से तत्काल पूर्व अर्द-रात्रि को ईनोटिस प्राप्ति के स्थल परई समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व ही सहमति से इस नोटिस को वापस न ले लिया जाए।

### अनुच्छेद–18 अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ पंजीकरण

यह करार और इसमें कोई भी संशोधन अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ पंजीकृत किया जाएगा।

> अनुच्छेद-19 प्रवर्तन

यह करार हस्ताक्षर की तारीख को प्रवर्तन में आयेगा।

इसके साक्ष्य में, निम्न इस्ताक्षरकर्ताओं ने, अपनी-अपनी सरकारों दारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किये जाने पर, इस करार पर इस्ताक्षर कर दिये हैं ।

दिनांक 10 अक्तूबर, 1996 को होगा कांगा में, हिन्दी और अंग्रेजी

-: 17 :-



भाषाओं में दो प्रतियों में इस्ताक्षर किये गए जिनमें से दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

रीपका मार्ग

Ayly

हांग कांग सरकार की ओर से

भारत गणतंत्र सरकार की और से



18

:-

-:

मार्ग अनुसूची

खंड - 1

अनुबंध

इांग कांग की नामित विमानकंपनी या विमानकंपनियों दारा प्रचालित किये जाने वाले मार्ग :-

हांग कांग - मध्यवर्ती स्थल - भारत के स्थल - परे के स्थल

टिप्पशियां

1. उत्पर निर्दिष्ट मार्गो पर जिन स्थलों के लिये उड़ानें की जानी है, वे संविदाकारी पक्षों दारा संयुक्त रूप से निर्धारित किये जाने हैं।

2• हांग कांग की नामित विमानकंपनी या विमानकंपनियां एक या सभी उड़ानों पर, उत्पर निर्दिष्ट मार्गों पर किसी भी स्थल को छोड़ सकती हैं, और किसी भी कम में उनके लिये प्रचालन कर सकती हैं बशर्ते कि इन मार्गों पर सम्मत सेवाएं हांग कांग से शुरू हों ।

3. जब तक कि संविदाकारी पक्षों दारा समय-समय पर संयुक्त रूप से निर्धारित न हो, न किसी मध्यवर्ती स्थल या परे के स्थल से विमान में कोई यातायात लिया जाये और मारत के किसी स्थल पर उतारा जाये अथवा न भारत के किसी स्थल से विमान में कोई यातायात लिया जाये और किसी मध्यवर्ती स्थल या परे के स्थल पर उतारा जाये । यह प्रतिबंध सभी प्रकार के मध्य विश्राम यातायात पर भी लागू होता है ।

4• चीन की मुख्य-भूमि के किसी भी स्थल के लिये मध्यवर्ती स्थल या परे के स्थल के रूप में प्रचालन नहीं किया जाए ।



19

:-

भारत गणतंत्र की नामित विमानकंपनी या विमानकंपनियों दारा प्रचालित किये जाने वाले मार्ग :

खंड - 2

भारत के स्थल - मध्यवर्ती स्थल - हांग कांग - परे के स्थल

### टिप्पणियां

1. उत्पर निर्दिष्ट मार्गों पर जिन स्थलों के लिए उड़ानें की जानी हैं वे संविदाकारी पक्षों दारा संयुक्त रूप से निर्धारित किये जाने हैं।

2• भारत गणतंत्र की नामित विमानकंपनी या विमानकंपनियां एक या सभी उड़ानों पर, उत्पर निर्दिष्ट मार्गों पर किसी भी स्थल को छोड़ सकती हैं और किसी भी कम में उनके लिये प्रचालन कर सकती हैं बशर्ते कि इन मार्गों पर सम्मत सेवाएं भारत के किसी स्थल से शुरू हों।

3. जब तक कि संविदाकारी पक्षों दारा समय-समय पर संयुक्त रूप से निर्धारित न हो, न किसी मध्यवर्ती स्थल या परे के स्थल से विमान में कोई यातायात लिया जाए और हांग कांग में उतारा जाए अथवा न हांग कांग से विमान में कोई यातायात लिया जाए और किसी मध्यवर्ती स्थल या परे के स्थल पर उतारा जाए । यह प्रतिबंध सभी प्रकार के मध्य विश्राम यातायाल पर भी लागू होता है ।

4• चीन की मुख्य-भूमि के किसी भी स्थल के लिये मध्यवर्ती स्थल या परे के स्थल के रूप में प्रचालन नहीं किया जाएगा ।



#### AIR SERVICES AGREEMENT

#### <u>between</u>

#### THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

#### AND

#### THE GOVERNMENT OF HONG KONG

The Government of the Republic of India and the Government of Hong Kong,

Desiring to promote their Civil Aviation relations and to conclude an Agreement for the purpose of developing air services between Hong Kong and India,

Have agreed as follows:

#### ARTICLE 1

#### <u>Definitions</u>

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- the term ["aeronautical authorities" (a) means in the case of the Government of Hong Kong, the Director of Civil Aviation, and in the case of the Government of the Republic of India, the Director General of Civil in both cases, Aviation, or, any person or body authorised to perform any functions at present exercisable by the above-mentioned authorities or similar functions;
- (b)

the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorised in accordance with Article 4 of this Agreement;



-: 2 :-

c) the term "area" in relation to Hong Kong includes Hong Kong Island, Kowloon and the New Territories and in relation to India has the meaning assigned to "territory" in Article 2 of the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944;

- (d) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the said Convention;
- (e) the term "this Agreement" includes the Annex hereto and any amendments to it or to this Agreement.

#### ARTICLE 2

#### Provisions of the Chicago Convention Applicable to International Air Services.

In implementing this Agreement, the Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944, including the Annexes and any amendments to the Convention or to its Annexes which apply to both Contracting Parties, insofar as those provisions are applicable to international air services.

#### ARTICLE 3

#### <u>Grant of Rights</u>

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its international air services:

A. Said



-: 3::-

(a) the right to fly across its area without landing;

(b) the right to make stops in its area for non-traffic purposes.

Contracting | Party grants to the other Each (2) Contracting Party the rights hereinafter specified in of operating this Agreement for thė purpose international air services on the routes specified in Section of the Annex to this appropriate the Agreement. Such services and routes are hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes" respectively. While operating an agreed service on a specified route the designated airlines of each Contracting Party shall enjoy in addition to the rights specified in paragraph (1) of this Article the right to make stops in the area of the other Contracting Party at points determined for that route in accordance with the Annex to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers separately or in carqo, including mail, and combination.


(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the designated airlines of one Contracting Party the right to take on board, at one point in the area of the other Contracting Party, passengers and cargo, including 'mail, 'carried for hire or reward and destined for another point in the area of the other Contracting Party.

#### ARTICLE 4

#### Designation of and Authorisation of Airlines

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes and to withdraw or alter such designations.

-: 4 :-On receipt of such a designation, the other (2) Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs(3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline or airlines designated the appropriate operating authorisations. the The Government of Hong Kong shall have (3) (a) right to refuse to grant the operating authorisations referred to in paragraph (2) Article, or to impose such this of conditions as it may deem necessary, on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3(2) of this Agreement, in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested the Government of the Republic of India in or its nationals. The Government of Republic of India shall (b) have the right to refuse to grant the |in operating authorisations referred to paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3(2) of this Article 3(2) of this case where it is not Agreement, in any case where it is not satisfied that that airline is incorporated and has its principal place of business in Hong Kong. authorities aeronautical of ione  $(4)^{-1}$ The Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied to the operation of international air services by such authorities. When an airline has been so designated and (5) authorised it may begin to operate the agreed servics, provided that the airline complies, with the applicable provisions of this Agreement.





# -: 6 :-

#### ARTICLE 6


#### Principles Governing operation of Agreed Services


(1) There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of the Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes.

(2) In operating the agreed services the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airlines of the other Contrating Party so as not to affect unduly the services which the latter provide on the whole or part of the same routes.

services provided by the The agreed (3) designated airlines of the Contracting Parties shall bear a close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision at a reasonable load factor of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers and cargo, including originating in or destined for the area of the mail, Contracting Party which has designated the airline. Provision for the carriage of passengers and cargo, including mail, both taken on board and discharged at points on the specified routes other than points in the area of the Contracting Party which designated the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

- (a) traffic requirements to and from the area of the Contracting Party which has designated the airline;
- (b) traffic requirements of the region through which the agreed service passes, taking account of other air services established by airlines of the States comprising that region; and





-: 9 :-(6) If a notice of disapproval is given in accordance with the provisions of paragraph (5) of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties may jointly determine the tariff. For this purpose, one Contracting Party may, within 30 days of the service of the notice of disapproval, request consultations between the aeronautical authorities of the Contracting Parties which shall be days from the date the other within 30 held Contracting Party receives such request in writing. If a tariff has been disapproved by the (7)aeronautical authorities of a Contracting Party in accordance with paragraph (5) of this Article, and if aeronautical authorities of the Contracting the Parties have been unable jointly to determine the tariff in accordance with paragraph (6) of this Article, the dispute may be settled in accordance with the provisions of Article 15 of this Agreement. (8) Subject to paragraph (9) of this Article, | a tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain valid until a replacement tariff has been established. (9) Except with the agreement of the aeronautical authorities of both Contracting Parties, and for such period as they may agree, the validity of a tariff shall not be prolonged by virtue of paragraph (8) of this Article: (a) where a tariff has a terminal date, for more than 12 months after that date; where a tariff has no terminal date, (b) for more than 12 months after the date on which a replacement tariff is filed with the aeronautical authorities of the Contracting Parties by a designated airline of a Contracting Party.



# -: 10 :-

#### ARTICLE 8


#### <u>Customs Duties</u>


Aircraft (1)operated in international air services by the designated airlines of one Contracting regular equipment, fuel, lubricants, Party, their consumable technical supplies, spare parts including engines, and aircraft stores (including but not limited to such items as food, beverages and tobacco) which are on board such aircraft shall be exempted by Contracting the other Party the other Contracting Party on the basis of reciprocity from all customs duties, excise taxes and similar fees and charges not based on the cost of services provided on arrival, provided such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

(2) Regular equipment, fuel, lubricants, consumable technical supplies, spare parts including engines, aircraft stores (including but not limited to such items as food, beverages and tobacco), introduced into the area of the other Contracting Party by or on behalf of that designated airline or taken on board the aircraft operated by that designated airline, shall be exempted by the other Contracting Party on the basis of reciprocity from all customs duties, excise taxes and similar fees and charges not based on the cost of services provided on arrival, even when such regular equipment and such other items are to be used on any part of a journey performed over the area of the other Contracting Party.

(3) The regular equipment and the other items referred to in parapgraphs (1) and (2) of this Article may be required to be kept under the supervision or control of the customs authorities of the other Contracting Party.

(4) The regular equipment and the other items referred to in paragraph (1) of this Article may be unloaded in the area of the other Contracting Party with the approval of the customs authorities of that







# -: 13 :-

### <u>Article 10</u>

### Provision of Operating Information

aeronautical The authorities of one Contracting Party shall cause the designated airline(s) of that Contracting Party to communicate to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, as far in advance as practicable, prior to the inauguration of the agreed services, the type of service, the type of aircraft to be used, the flight schedules, tariff schedules, and any other relevant information concerning the operation of the agreed services including such information as may be required to satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Party that the requirements of this Agreement are being duly observed. The requiremnts of this Article shall likewise apply to any changes concerning the agreed services.

#### ARTICLE 11

### Provision of Statistics

The aeronautical authorities of one Contracting Party · shall cause the designated airline(s) of that Contracting Party to furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried during each month on the agreed services to and from the area the other Contracting Party, showing the points of of embarkation and disembarkation of such traffic and any other information required relevant by the aeronautical authorities of the other Contracting Party. Such statistics shall be furnished as soon as possible after the end of each month.



### -: 14 :-

#### ARTICLE 12

### Conversion and Remittance of Revenue

(1) Subject only to foreign currency regulations which may be imposed by India with uniform application, the designated airlines of Hong Kong shall have the right to convert and remit to Hong Kong from India local revenues in excess of sums locally disbursed.

(2) The designated airlines of India shall have the right to convert and remit to India from Hong Kong local revenues in excess of sums locally disbursed.

(3) The conversion and remittance of such revenues shall be in a freely convertible currency, shall be permitted at the rate of exchange applicable to current transactions which is in effect at the time such revenues are converted and remitted, and shall not be subject to any charges except those normally made by banks for carrying out such conversion and remittance.

#### ARTICLE 13

#### Airline Representation and Sales

The designated airlines of each Contracting Party shall have the right:

- in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party relating to (a) of entry, residence and employment, to bring into and maintain in the area of that other Contracting Party those of their own administrative, managerial, technical, operational and other specialist staff who required for the provision of are air transportation.
- (b) in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party to engage in the sale of air transportation in the area of the other Contracting Party, either directly or through agents. The designated



#### -: 15 :-

airlines of each Contracting Party shall have the right to sell, and any person shall be free to purchase, such transportation in local currency, if permitted under the laws and regulations of the other Contracting Party, or in any freely convertible other currency.

#### ARTICLE 14

#### <u>User Charges</u>

(1) The term "user charge" means a charge made to airlines by the competent authorities or permitted by them to be made for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities, including related services and facilities, for aircraft, their crews, passengers and cargo.

(2) A Contracting Party shall not impose or permit to be imposed on the designated airlines of the other Contracting Party user charges higher than those imposed on its own airlines operating similar international air services.

(3) Each Contracting Party shall encourage consultation on user charges between its competent charging authorities and airlines using the services and facilities provided by those charging authorities, where practicable through those airlines' representative organisations. Reasonable notice of any proposals for changes in user charges should be given to such users to enable them to express their views before changes are made, but the decision of the competent charging authorities of a Contracting Party in respect of user charges shall be final.

(4) In addition, each Contracting Party shall further encourage its competent charging authorities and such users to exchange appropriate information concerning user charges.



# -: 16 :-

### ARTICLE 15

#### <u>Consulatión</u>

(1) Either Contracting Party may at any time request consultations on the interpretation, implementation, application or amendment of this Agreement. Such consultations, which may be between the aeronautical authorities of the Contracting Parties or the Contracting Parties themselves, shall begin within 60 days from the date the other Contracting Party receives such request in writing, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

(2) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall try to settle it by negotiation in accordance with the provisions of paragraph (1) of this Article.

#### ARTICLE 16

#### Amendment

Any amendments to this Agreement agreed by the Contracting Parties shall enter into force when confirmed in writing by the Contracting Parties.

#### ARTICLE 17

#### <u>Termination</u>

One Contracting Party may at any time give notice in writing to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. This Agreement shall terminate at midnight (at the place of receipt of the notice) immediately before the first anniversary of the date of receipt of such notice by that other Contracting Party, unless such notice is withdrawn by agreement before the end of this period.



## -: 17 :-

#### ARTICLE 18

### Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

#### ARTICLE 19

#### Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of signature.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate at <u>Hong Kong</u> this <u>10<sup>th</sup></u> day of <u>October, 1996</u> in the Hindi and English languages, both texts being equally authentic.

Atra maran

For the Government of the Republic of India:

14Lg

For the Government of Hong Kong



# -: 18 :-

#### ROUTE SCHEDULE

#### Section 1

Routes to be operated by the designated airline or airlines of Hong Kong :

Hong Kong - intermediate points - points in India - points beyond.

#### Notes:

1. The points to be served on the routes specified above are to be jointly determined by the Contracting Parties.

2. The designated airline or airlines of Hong Kong may on any or all flights omit calling at any points on the routes specified above, and may serve them in any order, provided that the agreed services on these routes begin at Hong Kong.

3. No traffic may be taken on board at an intermediate point or at a point beyond and discharged at a point in India or vice versa, except as may from time to time be jointly determined by the Contracting Parties. This restriction also applies to all forms of stopover traffic.

4. No point in the mainland of China may be served as an intermediate point or a point beyond.



### -: 19 :-Section 2

Routes to be operated by the designated airline or airlines of the Republic of India:

Points in India - intermediate points - Hong Kong points beyond.

#### <u>Notes:</u>

1. The points to be served on the routes specified above are to be jointly determined by the Contracting Parties.

2. The designated airline or airlines of the Republic of India may on any or all flights omit calling at any points on the routes specified above, and may serve them in any order, provided that the agreed services on these routes begin at a point in India.

3. No traffic may be taken on board at an intermediate point or at a point beyond and discharged at Hong Kong or vice versa, except as may from time to time be jointly determined by the Contracting Parties. This restriction also applies to all forms of stopover traffic.

4. No point in the mainland of China may be served as an intermediate point or a point beyond.

~~~##~~~